भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2675
बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>न बेची जा सकी ऊर्जा</u>

2675. श्री मनीश तिवारीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में उत्पादित कुल ऊर्जा की कितनी मात्रा की आज तक बिक्री नहीं हो सकी है;

(ख) देश में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) अथवा विद्युत आपूर्ति समझौते (पीएसए) प्राप्त करने में विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) द्वारा ऐसी कितनी नीलामियां की गई हैं जिनमें पूरी उत्पादित ऊर्जा को बेचा नहीं जा सका है; और

(घ) सरकार का यह किस प्रकार सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि नीलाम की गई नई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को अनावंटित विद्युत जैसी चुनौतियों का सामना न करना पड़े?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) अर्थात् सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी), एनएचपीसी लिमिटेड (एनएचपीसी) और एसजेवीएन लिमिटेड (एसजेवीएन) द्वारा जारी अक्षय विद्युत खरीद बोलियों के अंतर्गत चालू की गई ऐसी कोई उपयोगिता पैमाने की अक्षय विद्युत उत्पादन क्षमता नहीं है, जिसकी बिक्री न हुई हो।

इस प्रक्रिया में पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से सफल बोलीदाताओं के चयन के बाद आरईआईए द्वारा आवंटन पत्र जारी करना शामिल है, जिसके बाद मध्यस्थ खरीददारों के रूप में कार्य करने वाले आरईआईए और अंतिम खरीददारों के रूप में कार्य करने वाली राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बीच विद्युत बिक्री समझौतों (पीएसए) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद, बोली के माध्यम से चुने गए आरईआईए और अक्षय विद्युत उत्पादकों के बीच विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। एक बार पीएसए और पीपीए पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, अक्षय विद्युत परियोजना का विकास शुरू हो जाता है और परियोजना के चालू होने के बाद, उससे उत्पन्न विद्युत को हस्ताक्षरित पीएसए और पीपीए के अनुसार तुरंत बेच दिया जाता है।

(ख) अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं विद्युत क्रय समझौते (पीपीए) या विद्युत बिक्री समझौते (पीएसए) हासिल करने में विफल नहीं हो रही हैं।

हस्ताक्षर न किए गए पीएसए/पीपीए की मात्रा मुख्य रूप से हाल के दिनों में अक्षय ऊर्जा की जारी बोली की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण है। पीएसए और पीपीए पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और आरईआईए ने वित्त वर्ष 2023-24 में आरईआईए द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा क्रय बोलियों के संबंध में लगभग 15 गीगावाट के पीएसए पर हस्ताक्षर किए हैं।

पीपीए और पीएसए पर हस्ताक्षर विभिन्न घटनाक्रमों पर निर्भर हैं, जिनमें अन्य के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से प्राप्त टैरिफ को अपनाने के लिए संबंधित विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा लिया गया समय।
ii. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 86(1)(ख) के तहत अनुमोदन के लिए संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा लिया गया समय।
iii. आरईआईए के साथ पीएसए में शामिल होने के लिए डिस्कॉमों द्वारा आवश्यक आंतरिक/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने में लिया गया समय।

(ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2022 द्वारा यथा संशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14(x) केंद्र सरकार को ऊर्जा या फीड स्टॉक के रूप में नामित उपभोक्ताओं द्वारा गैर-जीवाश्म स्रोतों की खपत का न्यूनतम हिस्सा निर्दिष्ट करने की शक्तियां प्रदान करती है। वितरण लाइसेंसधारियों को भी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत नामित उपभोक्ता के रूप में अधिसूचित किया गया है। संशोधित ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 14(x) के अनुसार, विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2023 की अधिसूचना के माध्यम से कुछ शर्तों के साथ, ऊर्जा खपत के कुल हिस्से के प्रतिशत के रूप में विद्युत वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा की खपत का न्यूनतम हिस्सा (जैसा कि अनुलग्नक में तालिका में उल्लिखित है) निर्दिष्ट किया है। उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है।

विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 26.09.2024 के पत्र के माध्यम से राज्य सरकारों को अवगत कराया है कि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत अधिसूचित अक्षय उपभोग बाध्यता का अनुपालन बाध्य संस्थाओं द्वारा किया जाना चाहिए तथा उनसे अनुरोध किया है कि वे निर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुसार अक्षय ऊर्जा की खपत के लिए बाध्यताओं को पूरा करने के लिए उचित उपाय करें।

अनुलग्नक

'न बेची जा सकी ऊर्जा' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.12.2024 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2675 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र.सं.	वर्ष	पवन अक्षय ऊर्जा	जल विद्युत अक्षय ऊर्जा	वितरित अक्षय ऊर्जा	अन्य अक्षय ऊर्जा	कुल अक्षय ऊर्जा
1.	2024-25	0.67%	0.38%	1.50%	27.35%	29.91%
2.	2025-26	1.45%	1.22%	2.10%	28.24%	33.01%
3.	2026-27	1.97%	1.34%	2.70%	29.94%	35.95%
4.	2027-28	2.45%	1.42%	3.30%	31.64%	38.81%
5.	2028-29	2.95%	1.42%	3.90%	33.10%	41.36%
6.	2029-30	3.48%	1.33%	4.50%	34.02%	43.33%

*****